न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 07/2025 बउनवानी गोबरीलाल **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर पुत्र श्री रामकुंवार माली निवासी मालियों के मंदिर के पास, वार्ड नम्बर 3 लाखेरी जिला बूंदी

GCMS No-2025/33

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज

27.2.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 06.12.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" प्रार्थी द्वारा दिनांक 7.6.2023 पत्रांक 442 वास्ते खाते मे नाम संशोधन हेतु दिया गया जिस पर की गयी कार्यवाही की सूचना "* तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2024/23 दिनांक 24.2.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.2024 के बिन्दु संख्या 2 में चाही गयी सूचना अपीलान्ट को तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक/आरटीआई/2025/22 दिनांक 21.2.2025 से (ख0न0 1426,1427 के नामा0 संख्या 1240 एवं 1250 दिनांक 1.8.2024 एवं जमाबन्दी, पटवारी रिपोर्ट, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि सहित) कुल 6 पृष्ठों की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 की सूचना से संबंधित पत्रांक 442 दिनांक 7.6.2023 तहसील कार्यालय मे प्राप्त नही होने के कारण बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.12.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 22 दिनांक 21.2.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। चूंकि चाही गयी सूचनाऐ अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested